न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 88/2018

1. आशाराम पुत्र गिर्राज मीना निवासी तारनपुर, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. नेतराम पुत्र गोज्या उर्फ गोजीराम
2. शम्भू पुत्र जयराम
3. जगदीशी पत्नी शम्भू दयाल
4. शांति प्रसाद पुत्र फूलचंद
5. बृजमोहन पुत्र फूलचंद
6. रामजस पुत्र फूलचंद समस्त जाति मीना, निवासीयान तारनपुर, तहसील मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।
7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, मलारना चौड, तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर।
8. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मलारना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 03/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2018)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपी0 की और से श्री शिवचरण सोनी
2. रेस्पो0 की और से श्री राधेश्याम वैष्णव
   श्री कुंज बिहारी शर्मा

निर्णय

दिनांकः 16.02.2021

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 03/2016 डिक्री एवं निर्णय दिनांक 30.07.2018 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 बाबत इस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 आपस में खास काका बाबा के ... है। प्रतिवादीगण के पिता मौजीराम, जयराम, फूलचंद व वादी का पिता गिर्राज सगे भाई है ... ग्राम मलारना चौड 'बी' में मुश्ततरफा तौर पर अपनी पैतृक खातेदारी की भूमि को ... करते थे और वादी के पिता गिर्राज व प्रतिवादीगण के पिता जयराम, मौजीराम, फूलचंद की मृत्यु के बाद अब वादी प्रतिवादीगण अपने बापौती की भूमि को मुश्तरफा तौर पर बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। अपने पूर्वजो के जमाने से आज तक आपसी पारिवारिक बंटवारे व समझौते द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। चूंकि प्रतिवादी नं0 01 नेतराम का पिता मौजीराम उर्फ मोज्या सब भाईयो में बडा था इसलिए खातेदारी बडे भाई मौज्या के नाम हो गई थी तथा मौज्या की मृत्यु के बाद अब खातेदारी प्रतिवादी नेतराम के नाम हो गई है। वादी व प्रतिवादीगण की भूमि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 7076 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 7077 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 7078 रकबा 0.84 है0 कुल रकबा 1.51 है0 है। इस भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण बहैसियत हिस्सेदार खातेदार काश्तकार काश्त करते आ रहे थे लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी को अपने कब्जे एवं खातेदारी की भूमि से वंचित करने की गरज से भूमि ख0नं0 7087 रकबा 0.84 है0 में से 0.76 है0 भूमि शम्भू दयाल की पत्नी जगदीशी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी तथा खसरा नम्बर 7076 रकबा 0.30 है0 व खसरा नम्बर 7087 रकबा 0.84 है0 में से 0.08 है0 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि प्रतिवादी न0 04 लगायत 06 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी इस प्रकार प्रतिवादी नेतराम व शंभूदयाल की 1/2 भूमि जगदीशी के नाम तथा 1/4 भूमि प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है तथा शेष भूमि 1/4 जो प्रतिवादी नेतराम की खातेदारी में बची है, वह वादी के हिस्से की भूमि है। विवादित आराजीयात को इस प्रकार बेचने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही था लेकिन वादी के हिस्से की भूमि को गैर कानूनी तरीके से हडपने के लिए यह कार्यवाही की गई है। दिनांक 25.12.2015 को प्रतिवादीगण ने वादी को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे व वादी को उक्त खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार इन्द्राज जमाबंदी में किये जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत बेजा न तो स्वयं करे न ही किसी दीगर से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतो के विपरीत होने से मंसूख किये जाने योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पो0 आपस में खास काका बाबा के सगे भाई भतीजे है। रेस्पो0 नेतराम के पिता मौजीराम, जयराम, फूलचंद व अपीलांट का पिता गिर्राज सगे भाई है तथा ग्राम मलारना चौड "बी" में [illegible]रिका तौर पर अपनी पैतृक खातेदारी की भूमि काश्त करते थे। अपीलांट के पिता गिर्राज व रेस्पो0 के पिता जयराम, मौजीराम, फूलचंद की मृत्यु के बाद अब अपीलांट व रेस्पो0 अपने बापौती की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुश्तरका तौर पर बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। अपने पूर्वजों के जमाने से आज तक आपसी पारिवारीक बंटवारे व समझौते द्वारा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। रेस्पो के पिता मोजीराम उर्फ मौज्या सब भाईयो में बडा था इसलिए खातेदारी बडे भाई मौज्या के नाम हो गई तथा मौज्या की मृत्यु के बाद अब खातेदारी रेस्पो0 नेतराम के नाम हो गई। अपीलांट व रेस्पो0 की भूमि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नम्बर 7076 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 7077 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 7087 रकबा 0.84 है0 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम मलारना चौड (बी) तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। रेस्पो0 चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा अपीलांट अनपढ एवं सीधा साधा व्यक्ति है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलांट को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करने की गरज से उपरोक्त आराजी में से खं0 नं0 7087 रकबा 0.84 है0 में से 0.76 है0 भूमि को शम्भूदयाल की पत्नी जगदीशी के नाम रजिस्ट्री करवा दी तथा खसरा नम्बर 7076 रकबा 0.30 है0 व खसरा नम्बर 7087 रकबा 0.84 है0 में से शेष भूमि रकबा 0.08 है0 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि को रेस्पो0 के हक में रजिस्ट्री करवा दी। इस प्रकार उक्त आराजी में से रेस्पो0 2 व 3 के हक में 2/4 भूमि तथा रेस्पो0 सं0 2 लगायत 4 के हक में 1/4 तथा शेष 1/4 भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम है जबकि शेष बची भूमि 1/4 अपीलांट के हिस्सें में होनी चाहिए। इस प्रकार विवादित उक्त आराजी को बेचने का रेस्पो0 सं0 1 को कोई अधिकार कभी नहीं रहा, जिसे गौर करने में अधिनस्थ योग्य अदालत ने अहम भूल की है। निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ योग्य अदालत ने पुराने रिकार्ड को देखे बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है जबकि उक्त विवादित आराजी अपीलांट के पिता गिर्राज एवं मौजीराम, जयराम, फूलचंद के पिता सुन्दर लाल पुत्र कनीराम मीना निवासी तारनपुर के नाम थी जिसकी मिसल हकीयत बंदोबस्त 1988 में खातेदार दर्शाया गया है। सुन्दर लाल पुत्र कनीराम की खातेदारी के खं0नं0 3727, 3728, 3729 है उसके स्वर्गवास के बाद सुन्दर लाल के उक्त चारो पुत्रो के नाम दर्ज नहीं होकर बडे पुत्र मौजीराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गई जिसके नम्बर इस प्रकार 4240, 4241, 4242, 4243 बने, उसके बाद वर्तमान खसरा नम्बर 7076, 7077, 7087 बने है जो मोजीराम के दत्तक पुत्र नेतराम के नाम है, जिसे गौर किये बिना ही अधिनिस्थ योग्य अदालत ने अहम भूल की है। इस कारण निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2018 अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब बहस में प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7076 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 7077 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 7078 रकबा 0.84 है0 कित्ता 03 कुल रकबा 1.51 है0 का रेस्पो0 एकमात्र खातेदार व काश्तकार रिकॉर्डेड है। सुन्दर लाल के 04 पुत्र मौजीराम, जयराम, फूलचंद, व अपीलांट के पिता गिर्राज में सबसे बडा मौजीराम था। मौजीराम बडा होने से भूमि उसके नाम दर्ज हो गई परन्तु उसके नाऔलाद फौत होने से उसने फूलचंद के बडे पुत्र नेतराम को गोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ले लिया एवं विरासत में भूमि नेतराम के दर्ज हो गई जबकि आराजी नियमानुसार अपीलांट व रेस्पो0 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। रेस्पो0 नेतराम ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए बिना किसी प्रतिफल के दिनांक 13.06.2014 को पारिवारिक बंटवारे के अनुसार शम्भू की पत्नी जमदीशी एवं शेष रेस्पो0 के पक्ष में अपीलांट के समक्ष विक्रय पत्र दरदीक करवा दिए जिनमें अपीलांट स्वयं गवाह है। उसी दिन अपीलांट एवं रेस्पो0 के समक्ष अपीलांट के पक्ष में सहमति पत्र भी तस्दीक किया गया था जिसमें अपीलांट ने अपनी सहमति उक्त विक्रय पत्र के पक्ष में अपने हस्ताक्षर कर जाहिर की थी। चूंकि दोनो विक्रय पत्र अपीलांट के समक्ष उसकी सहमति से तस्दीक हुए थे, इस आधार पर पारिवारिक बंटवारे के अनुसार जितनी भूमि रेस्पो0 सं0 01 के पास होनी चाहिए थी उतनी ही भूमि उसके नाम दर्ज है। यदि अपीलांट उक्त आराजी में से अपना हिस्सा लेना चाहता है तो वह रेस्पो0 सं0 03 से लेने का मुस्तहक है क्योंकि रेस्पो0 सं0 03 के पक्ष में पारिवारिक बंटवारे के अनुसार विवादित आराजी में से केवल 0.38 है0 भूमि ही आनी चाहिए थी परन्तु सहमति पत्र के अनुसार अपीलांट ने 0.76 है0 की रजिस्ट्री रेस्पो0 सं0 03 जो कि रेस्पो सं0 02 की पत्नी है के पक्ष में करवाई थी। अपीलांट ने यह अपील रेस्पो0 को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत की है। विवादित आराजी के हिस्से 1/4 पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है क्योंकि अपीलांट ने उक्त आराजी के एवज में कनीराम के तीसरे पुत्र रामपाल के इकलौते पुत्र गोकुल की खातेदारी की आराजी रकबा 02 बीघा उक्त पैतृक आराजी की एवज में अपने हिस्से में लेकर कब्जा काश्त बदस्तूर करता आ रहा है। अब अपीलांट के मन में बदयान्ति आ गई से उसने यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. अपील मीमो के साथ प्रस्तुत किये गये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 7076, 7077, 7087 के अनुसार :–

हाल खसरा नम्बर	साबिक खसरा नम्बर
7076	4240 4241 4242
7077	4241 मि0 4242 मि0
7086	4241 मि0 4242 मि0 4243

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त खसरा नम्बर बनना स्पष्ट है। मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत 2017–20 वाके ग्राम मलारना चौड के अनुसार खसरा नम्बर 4240, 4241, 4242, 4243 मौजिया पुत्र सुन्दर लाल मीना के नाम अंकित है। मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा मलारना चौड सम्वत 1988 के अनुसार खसरा नम्बर 3727, 3728, 3729 सुन्दरी बल्द कनीराम के नाम दर्ज है परन्तु ये खसरा नम्बरान से कौन से खसरा बने है। यह दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यो को साबित करने में असफल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री तनकीवार विवेचन कर व विधि सम्मत तरीके से पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टव्य नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर के मु0नं0 03/2016 निर्णय दिनांक 30.07.2018 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.2.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner